न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/43/2021

हसीना पत्नी आसूं जाति मेव निवासी वमनवाडी (कुकरपुरी) तहसील व थाना पहाडी जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 व मुकदमा एफ.आई.आर संख्या 176/2020 पुलिस थाना कैथवाडा जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप कुमार, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 16.02.2022

प्रार्थियां ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थियां का वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 का जरिये मुख्त्यारनामा खास मालिक है। दिनांक 23.08.2020 को पुलिस थाना कैथवाडा द्वारा प्रार्थियां के उक्त वाहन के ड्राईवर से अवैध वसूली बाबत रूपयों की मॉग की और अवैध रूपये न देने के कारण प्रार्थियां के उक्त वाहन में गोवंश परिवहन की झूठी कहानी गढकर पकड लिया व एफ.आई.आर नम्बर 176/2020 धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट में दर्ज कर उक्त वाहन को जब्त कर लिया तथा नाजायज दबाब बनाने को प्रार्थियां को मुलजिम बनाकर गिरफ्तार करना चाहा जिस पर प्रार्थियां ने माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर आजाद है। उक्त वाहन से गौवंश अवैध रूप से परिवहन नही किया जा रहा था जिसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है तथा फौजदारी न्यायालय में ट्रायल का विषय है। प्रार्थी का उक्त वाहन करीब एक साल से थाना पर खुले में खडा हुआ है तथा जंग व अन्य वजह से खडा खडा खराब हो रहा है तथा प्रार्थियां को भी आजीविका चलाने का

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

संकट खडा हो गया है। प्रार्थियां न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना करेगी । प्रार्थियां द्वारा वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना कैथवाडा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थियां व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थियां ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थियां ने अवगत कराया कि दिनांक 23.08.2020 को पुलिस थाना कैथवाडा द्वारा वाहन के चालक से अवैध वसूली बाबत रूपयों की मांग करने व न देने पर झूंठा मुकदमा बनाकर प्रार्थियां के वाहन को गोवंश में लिप्त दिखाकर प्रकरण तैयार किया गया है। जिसका पुलिस के पास गोवंश में लिप्त होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। प्रार्थियां का उक्त वाहन ही आजीविका चलाने का साधन है। जिसे प्रार्थियां प्राप्त करने का हकदार है। प्रार्थियां उक्त वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन में गोवंश के परिवहन के लिए परमिट या रवन्ना भी नही था। प्रार्थियां के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे व निराधार है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कैथवाडा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट है मौके पर जब्त वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 में 02 गौवंश भरे हुये थे। जो कि हरियाणा की तरफ ले जाये जा रहे थे। गोवंश के परिवहन के लिए सक्षम प्राधिकारी का परमिट या रवन्ना भी नही था। गोवंश का अवैध तस्करी व परिवहन करना अमानवीय कृत्य है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर (राज०

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन पिकअप संख्या एच.आर. 38 पी 8007 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी कैथवाडा (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर